



समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रोवा.



Rs 3

R 5434-II/161

- 1- रामसजीवन यादव तनय स्व० दशरथ यादव उम्र 65 साल,
 - 2- ददनिया उर्फ ददानी यादव तनय स्व० दशरथ यादव उम्र 55 साल,
 - 3- बाबूलाल यादव तनय स्व० बोड़ई यादव उम्र 50 साल,
 - 4- लल्लू यादव तनय स्व० बोड़ई यादव उम्र 40 साल,
 - 5- अवधेश यादव तनय स्व० बृजवासी यादव उम्र 55 साल,
 - 6- मुन्ना यादव तनय स्व० बृजवासी यादव उम्र 45 साल,
 - 7- लल्लू यादव तनय स्व० बृजवासी यादव उम्र 42 साल,
 - 8- श्रीकेश यादव तनय स्व० गलबलिया उर्फ गलबाली यादव उम्र 35 साल,
- सभ्नी निवासी ग्राम महरहा तहसील सेमरिया जिला रोवा

म०प्र०


आवेदक गण ।

बनाम

गोबुल यादव तनय स्व० छतधारी उर्फ छद्दारी यादव साकिन महरहा तहसील -
सेमरिया जिला रोवा म०प्र०

अनावेदक ।

अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह
द्वारा प्रस्तुत / 27-9-16


अधिवक्ता ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रोवा

निगरानी विरुद्ध आदेश व पुष्टिकरण सीमांकन
कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तह-
सील सेमरिया जिला रोवा म०प्र० दिनांक -
30-07-16 जरिए प्र०क्र० 43312/2015-16
बावत् भूमि खसरा नं० 16/6 रकबा 0-688 हे०
स्थित ग्राम महरहा ज०नं० 464 पट०ह० हुंसौल
तहसील सेमरिया जिला रोवा म०प्र० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भूरा०संहिता।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

1- यहाँक राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया द्वारा दिनांक 30-07-16 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक निग0 5434-दो/16

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
6-02-17	<p>आवेदक अभिभाषक श्री जीतेन्द्र सिंह को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-7-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्ताकारों को सूचना जारी करने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। आवेदकगण के सूचना पत्र एवं स्थाल पंचनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को उक्त सीमांकन की जानकारी थी तथा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है। जहां तक आवेदकगण द्वारा एकपक्षीय रूप से बंटवारा आदेश होने के पश्चात नक्शा तर्मीम कराने के तर्क का प्रश्न है आवेदकगण उक्त आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। बटवारा एवं नक्शा तर्मीम में</p>	

पारित आदेशों को सीमांकन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया जिसमें प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-7-16 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


(एस0एस0 अली)
सदस्य

✓